95

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 787–तीन/2008 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 23–6–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 950/2006–07 अपील

1– राममिलन 2– सुरेश प्रसाद पुत्रगण काशीप्रसाद ब्राहमण
निवासी देवरा तहसील हनुमना जिला रीवा मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– गुलरेज अहमत पुत्र मुबारकदीन
2– सतानन्द पुत्र जगदीश
3– चिंतामणि पुत्र काशीप्रसाद
4– महानन्द पुत्र जगदीश प्रसाद
सभी ग्राम देवरा तहसील हनुमना जिला रीवा मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 29–05–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 950/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–6–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 ने ग्राम देवरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 112 रकबा 0.32 हि. में से जुज रकबा 11 हि., सर्वे कमांक 113 रकबा 0.12 हि. में से रकबा 0.04 हि जर्य पॅजीकृत विकय पत्र दिनांक 28-7-2003 से कय की, जिस पर ग्राम की नामान्तरण पंजी पर आदेश दिनांक 15-9-03 से नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने प्र0क0 46 अ-6/ 2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-2007 से नामान्तरण आदेश दिनांक 15-9-03 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि हितबद्ध पक्षकारों को सुना जाय तथा हक का अर्जन देखते हुये नामान्तरण कार्यवाही की जावे। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ,रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 950/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-6-08 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये नामान्तरण पंजी पर दिया गया आदेश दिनांक 15-9-03 यथावत् रखा। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गयां

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों की समीक्षा करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने आदेश दिनांक 23-5-2007

से नामान्तरण आदेश दिनांक 15-9-03 निरस्त करके प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि हितबद्ध पक्षकारों को सुना जाय तथा हक का अर्जन देखते हुये पुनः नामान्तरण कार्यवाही की जावे अर्थात अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तन आदेश होकर अंतरिम प्रकृति का है जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष संहिता की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत दित्तीय अपील अग्राह्य थी, फलस्वरूप अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा व्दारा अग्राह्य अपील में पारित अंतिम आदेश दिनांक 23-5-2007 नियम एंव प्रकिया के विरूद्ध है।

5/ यदि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 23-6-08 को गुणदोष के आधार पर विवेचना में लिया जाय ? अपर आयुक्त ने आदेश में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विक्रेतागण व्दारा स्वत्व से अधिक रकबा विक्रय कर दिया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय को स्वत्व की जांच किये जाने का कोई अधिकार नहीं है।

1. **सुजान सिंह बनाम कन्हाई 1985 रा.नि. 356 में बताया गया है कि नवीन नामान्तरण नियमों का नियम 32 राजस्व न्यायालयों को यह शक्ति देता है कि वह पक्षकारों के बीच 'हक' के प्रश्न का विनिश्य करे।**
2. **मनरजुआ विरूद्ध गुलावराम 1977 रा.नि. 416 (उच्च न्यायलय) में बताया गया है कि जब किसी केता ने ऐसे व्यक्ति से भूमि क्रय की हो जिसे स्वयं कोई हक प्राप्त न हो तब केवल इस कारण कि तहसीलदार ने इस विक्रय के आधार पर नामान्तरण कर दिया है केता को कोई हक अर्जित नहीं होगा।**

अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23-5-07 में निर्णीत किया है कि विक्रेतागण व्दारा अपने स्वत्व से अधिक रकबा विक्री कर दिया गया है।

जब विक्रेता के नाम विक्रय विलेख में अंकित पूर्ण रकवा नहीं है ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर क्या क्रेता को हक अर्जित हुआ या नहीं ? इन्हीं तथ्यों की जांच करने, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उद्वेश्य से अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार की ओर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, वरण् अनुविभागीय अधिकारी व्दारा नियमानुसार लिये गये निर्णय को अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील सुनवाई योग्य एंव ग्राह्य योग्य न होते हुये अंतिम आदेश दिनांक 23-6-08 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23-5-2007 को निरस्त करने में त्रृटि की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 23-6-08 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 950/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-6-2008 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना व्दारा प्रकरण क्रमांक 46 अ-6/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-2007 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर